भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 477

20 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

ग्रेड्डल ईंधन पम्प

477. श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एस.एम.एस-II ईंधन पम्प के ग्रेड्डल सहायक उपकरण आदि लगाने के बाद भी वाहन स्टार्ट नहीं हो सका;

(ख) ग्रेड्डल वाहन के लिए खरीदे गए अतिरिक्त मदों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रेड्डल वाहन, जिसे करोड़ों रुपये में खरीदा गया था, के बेकार पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा कार्यशाला में सुरक्षा जूतों और सुरक्षा दस्ताने के साथ-साथ डीजल और तेल की सामग्री के स्टॉक की जांच की गई है;

(ड.) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मात्रानुपातीदर कामगार (पीआरडब्ल्यू) को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है और वाहनों के कलपुर्जे खरीदने में भी लापरवाही बरती जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): जी नहीं। ग्रेड्डल मशीन अपनी प्रचालन की अवधि अर्थात वर्ष 2007-2018 के दौरान हर बार ईंधन पंपों को बदलने के बाद सुचारू रूप से चालू और प्रचालित हुई थी।

(ख): इस मशीन के लिए कुल 201 अतिरिक्त सामान खरीदे गए हैं। खरीदे गए अतिरिक्त सामान का विवरण **अनुलग्नक I** में है।

(ग): ग्रेड्डल मशीन, खरीद के वर्ष अर्थात 2007 से लेकर 2018 तक, अपनी प्रयोज्य अवधि तक प्रचालन में रही है।

(घ): स्टॉक का सत्यापन कर लिया गया है और कोई विसंगतियाँ नहीं पाई गई हैं।

(ड.): ऊपर (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ): भिलाई इस्पात संयंत्र में मात्रानुपाती दर वाले कामगार (पीआरडब्ल्यू) नहीं हैं। तथापि, संविदागत श्रमिकों को संबंधित नियोक्ता (अर्थात् ठेकेदार) द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संविदागत श्रमिकों को किए गए भुगतान के लिए ठेकेदार को अधिकतम 2300.00 रुपये प्रति माह के अध्यधीन, 88.46 रूपये प्रतिदिन की उपस्थिति की दर से "अतिरिक्त कल्याण सुविधा" की प्रतिपूर्ति की जाती है। आज की स्थिति के अनुसार, भिलाई इस्पात संयंत्र को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के लिए राज्य सरकार से कोई नोटिस नहीं मिला है।

वाहन कलपुर्जों की खरीद में असावधानी/लापरवाही देखने को नहीं मिली है, क्योंकि वे प्रक्रिया/दिशानिर्देशो के अनुसार खरीदे जाते हैं।

****

अनुलग्नक I

सामान की कुल सं.	सामान का विवरण
16	होज असेंबली, सक्शन स्विच, एलिमेंट एयर फिल्टर, इग्निशन स्विच, इत्यादि
3	फ्यूल फाइलर्स, ऑयल फिल्टर्स
1	ड्रिल ब्लैडस
2	रिटेनर, पॉयलट अडोप्टर
1	रिटेनर टैप होल
1	मॉइल पेग पीएनटी एफ/डीआरएल एम/सी
80	विभिन्न प्रकार के होज एस्से, अडेप्टर, पॉयलट, ब्लैड, टेप होल ड्रिल रैमर हैमर सीएफ एस29 की कास्ट, इत्यादि
1	इंजन हार्नेस
28	सेंडोर, रिले, सेंसर, फिल्टर, सेंटर पिन एस्से, मेम्ब्रैन एक्सेसरिज, पैकिंग किट, हॉइस्ट सीवाई, सील किट टिल्ट ग्लैड, टर्बो चार्जर इत्यादि
14	स्विंग मोटर एस्से, स्विंग ट्रांसमिशन, स्विंग ब्रेक एस्से, टिल्ट ब्रेक एस्से ट्रेक एडजस्टर एस्से इत्यादि
1	मॉइल पैग पाइंट
51	सीई मफलर, आर.एच. जॉइस्टिक एस्से, एलएच जॉइस्टिक असेंबली, फुट पेडल वॉल्व, पॉयलट मैनिफोल्ड असेंबली, कर्व्ड लिंक असेंबली, पिन स्ट्रेट लिंक एस्से इत्यादि
1	टूल सिलिंडर असेंबली
1	फ्यूल इंजेक्शन पंप

****